JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Ref No.: RJIL/RJ/OFC/45025/2020/07 Dated-02 Aug 2023

उप वन संरक्षक, झुंझुनूं,

राजस्थान।

विषय: उदयपुरवाटी से कोट ग्राम तक OFC डालने बाबत।

संदर्भ: i) आपका पत्र संख्या 1237 दिनांक 10/02/2023

ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक & मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्र संख्या 2692 दिनांक 27/07/2023

महोदय,

उदयपुरवाटी से कोट ग्राम तक विद्यमान सड़क के RoW में भूमिगत OFC डालने हेतु हमारा प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/45025/2020 आपके पास विचाराधीन है।

संदर्भित पत्र के बिंदु 2 में आपने निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित वन भूमि शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व में है इसलिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक महोदय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। इस आशय से हमने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और राजस्थान जयपुर को पत्र द्वारा सूचित किया।

प्रत्युत्तर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक & मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र संख्या 2692 दिनांक 27/07/2023 ने आपको निवेदन किया है कि से भिजवाएं।

अत: आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को यथाशीघ्र संरक्षण आरक्षित प्रबंध समिति की अभिशंषा अनुसार प्रस्ताव को टिप्पणी सहित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से भिजवाने की कृपा करें।

आदर सहित

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

ENCL:

1. प्रतिलिपि - प्रधान मुख्य वन संरक्षक & मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी पत्र संख्या 2692 दिनांक 27/07/2023

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
अरण्य भवन, झालानासंस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोननम्बर 0141–2700151 ई–मेल cwlw.raj@gmail.com

क्रमांक: एफ 4 ( ) व.जी.स्वी./मु.वजी.प्र./2022–23/2692 दिनांक 26/7/23

निमित्त

उप वन संरक्षक,
झुन्झुनू।

विषय– Underground OFC along PWD road within existing ROW from Udaipurwati – Kot from Lat/Long point 27.66962/75.43614 for total length of 6.349 km and forest area – 0.2857 ha, within ROW Limits in Jhunjhunu District, Rajasthan. (Proposal NO. FP/RJ/OFC/~~434440~~ 45025/2020)

सन्दर्भ– JIO Digital Fiber Private Limited का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 07.07.2023

महोदय

विषयान्तर्गत लेख है कि JIO Digital Fiber Pvt .Ltd Jaipur ने संदर्भित पत्र से शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व मे OFC की अनुमति के सम्बन्ध मे इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानो के अनुसार संरक्षण आरक्षिति के सम्बन्ध मे स्थिति निम्न प्रकार है।

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 36A (2) के अनुसार धारा 18 (2), 27 (2), 27(3), 27 (4), 30, 32 33(b) 33(c) के प्रावधान संरक्षण आरक्षिति पर लागू होते है।
2. संरक्षण आरक्षिति पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33(b) एवं (c) के प्रावधान लागू है। अतः संरक्षण आरक्षिति के किसी भाग के उपयोग के प्रस्ताव की मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति ली जानी चाहिए।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 36 (B) के प्रावधान की अनुपालना मे प्रत्येक संरक्षण आरक्षिति के संरक्षण, प्रबन्धन और रखरखाव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सलाह देने के लिए संरक्षण आरक्षिति प्रबन्ध समिति का गठन किया हुआ है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य मे आलौच्य प्रस्ताव के सम्बन्ध मे संरक्षण आरक्षिति प्रबन्ध समिति की अभिशंषा अनुसार प्रस्ताव को टिप्पणी सहित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से भिजवावे।

इसके साथ ही प्रस्तावित OFC की कन्जर्वेशन रिजर्व मे लम्बाई तथा परियोजना के क्षेत्रफल की सूचना भी भिजवावे।

भवदीय
(अरिन्दम तोमर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 ( ) व.जी.स्वी./मु.व.जी.प्र./2022–2023/2693 दिनांक 26/07/23

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर